

18.12.2024

कमील सार्वी व परोकार सरकार द्वारा ।
 पवान सेवा नही । अवान बन्ह गिया पाता
 है । बहान सार्वीना पत्र सुवी गर्वी ।
 सार्वीना के नामला रत प्रकार है ।
 मीना सार्वीना की आठ सठ 215 किन्म
 पात्रागाह पर असार्वीना के विरुद्ध किन्म्याही
 निषेधात्मक - धानी है व रजवेहन गिया ।
 हमने बहान पर भतन गिया । पत्रावली
 का अकलीवन गिया । अथम इधिया । मानला
 असार्वीना शक्ति व सुविधासत्तुवन सार्वीना
 पत्रावली नही बनता है । सार्वीना
 सार्वीना पत्र इती स्तर पर स्वारिय गिया
 पाता है । पत्रावली के पल सुनाए होकर
 लम्बर ले कम ले । अथम अथम
 सुजाया गया ।

सहयिक कलेक्टर
 (उपखण्ड अधिकारी)
 कपासन जिला-चित्तौडगढ़